पत्र संख्या–6/ब0गै0यो0–01–27/2016गृ0आ0....................../

बिहार सरकार

गृह विभाग

(आरक्षी शाखा)

प्रेषक,

राधा नन्दन प्रसाद,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0)
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक

विषय :– **पुलिस अधीक्षक/समादेष्टा स्तर के पुलिस पदाधिकारियों के उपयोग हेतु डी0जी0एस0 एण्ड डी0 दर पर प्रति वाहन की कीमत ₹ 8,91,305 (आठ लाख इक्यानवे हजार तीन सौ पाँच रू0) मात्र (सभी कर सहित है) की लागत से कुल 32 अदद Scorpio S4 Plus BS4 2WD अथवा समतुल्य मूल्य के वाहन का क्रय किये जाने हेतु कुल ₹ 2,85,21,760 (दो करोड़ पचासी लाख ईक्कीस हजार सात सौ साठ रू0) मात्र की स्वीकृति।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक पुलिस मुख्यालय के पत्रांक–977/आपूर्ति, दिनांक 12.09.2016 के आलोक में पुलिस अधीक्षक/समादेष्टा स्तर के पुलिस पदाधिकारियों के उपयोग हेतु डी0जी0एस0 एण्ड डी0 दर पर प्रति वाहन की कीमत ₹ 8,91,305 (आठ लाख इक्यानवे हजार तीन सौ पाँच रू0) मात्र (सभी कर सहित हैं) की लागत से कुल 32 अदद Scorpio S4 Plus BS4 2WD अथवा समतुल्य मूल्य के वाहन का क्रय किये जाने हेतु कुल ₹ 2,85,21,760 (दो करोड़ पचासी लाख ईक्कीस हजार सात सौ साठ रू0) मात्र की स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जाती है कि–"पुरानी वाहन के निष्प्रायोजन एवं निलामी के शर्त पर नया वाहन क्रय करने का प्रस्ताव स्वीकृत"।

2. इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 में गैर योजना की मांग सं0–22 के मुख्य शीर्ष 2055–पुलिस, उपमुख्य शीर्ष 00, लघु शीर्ष 001–निदेशन और प्रशासन, उपशीर्ष 0003–केन्द्रीय स्तर पर सामग्रियों का क्रय, विषय शीर्ष 51 01–मोटर गाड़ी तथा विपत्र कोड N2055000010003 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

3. उपर्युक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण) बिहार, पटना होंगे तथा राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी।

4. उपर्युक्त प्रस्ताव पर माननीय मुख्य (गृह) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह0/–

(राधा नन्दन प्रसाद)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–6/ब0गै0यो0–01–27/2016गृ0आ0 667 पटना, दिनांक 24.01.17

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण), बिहार, पटना/आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/01/17

सरकार के अवर सचिव